अति महत्वपूर्ण

संख्या- 14/2025/ 05(1)/सैतालीस-का-5-2025-(1788429)

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 11-04-2025

विषयः- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/2025/05/सैतालीस-का-5-2024 दिनांक 17.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किये जाने के निर्देश निर्गत करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य पोर्टल पर अंकित किये जाने हेतु समय सारिणी भी निर्धारित की गयी है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या के लिये वर्क-फ्लो जनरेशन की तिथि 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित है।

2- अतएव आपसे अनुरोध है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।